

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०— एम०— 20/2025

वाद का प्रकार— धारा— 126 मा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) —बनाम— सरफराज खान वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिकी काण्ड सं०— 28/2025 एवं चैनपुर थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 07/2025 दिनांक— 01.07.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. सरफराज शेख, पे० स्व० मजीद शेख, सा०— केराबार आँवराटोली 2. सद्दाम खान, पे० ईशा खान 3. इरफान खान, पे० मोबारक खान दोनों सा० जमगई 4. वकील खान, पे० वली खान 5. मुस्तलीक खान, पे० स्व० इब्राहीम मियां दोनों सा० आजाद बस्ती चैनपुर 6. इरफान खान, पे० खलील खान, सा० जमगई 7. रहमतुल्ला खान उर्फ टुलु, पे० लतीक खान, सा० जमगई 8. साजीद मियां, पे० सजवा मियां दोनों सा० रहमतनगर 9. अजबुल्ला खान, पे० स्व० बिगन मियां, सा० रहमत नगर बरवे नगर, 10. मुनाजीर खान, पे० मोबीन खान 11. रशीद खान, शेर खान, सा० जमगई 12. सुफियान खान, पे० दिलदार खान, सा० जमगई, थाना चैनपुर 13. कादिर खान, पे० रशीद खान, सा० जमगई 14. शिवम केशरी, पे० अवधेश केशरी, सा० एम०एल०ए० रोड 15. सकील खान, पे० अजबुल खान, सा० चैनपुर 16. रशीद खान, शेर खान, सा० जमगई, थाना चैनपुर 17. रितेश कुमार गुप्ता, पे० रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, पता एम०एल०ए० रोड, थाना चैनपुर, जिला गुमला 18. कौशल केशरी, पे० प्रदीप केशरी, सा० एम०एल०ए० रोड, थाना चैनपुर, जिला गुमला 19. इबराज खान पे० समीर खान, सा० लंगड़ा मोड़, थाना चैनपुर, जिला गुमला 20. अरबाज खान, पे० समीर खान, सा० लंगड़ा मोड़ 21. असलम शेख, पे० रहीस शेख, सा० लंगड़ा मोड़ 22. मो० अख्तर, पे० स्व० अब्दुल गफार, पता बरवेनगर 23. जमरुद्दीन खान, पे० शेख खान, सा०+थाना चैनपुर 24. रतन साहु, पे० हजारी साहु, सा० कटकाही, सभी थाना— चैनपुर, सभी जिला— गुमला को मुहर्रम पर्व 2025 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्षकारों द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया परन्तु शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा— 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि द्वितीय पक्षकार लोक परिशांति व विधि—व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अतः इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।